रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2014/ज्येष्ठ 22, 1936
No. 313] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2014/JYAISTHA 22, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2014

सा.का.नि. 397(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 123 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियम, 2014 में नियम 3 के उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) कंपनी तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि पूर्ववर्ती वर्ष अथवा वर्षों की प्रावधान नहीं की गई पिछली हानियों और अवमूल्यन को अग्रनीत करके कंपनी के वर्तमान वर्ष के लाभ से मुजरा नहीं कर दिया जाता है।"

[फा. सं. 1/31/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2014

G.S.R. 397(E).— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 123 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014, in rule 3, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) No company shall declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous year or years are set off against profit of the company of the current year."

[F. No. 1/31/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.